राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-जिलों में उप-रजिस्ट्रीदरों की नियुक्ति से संबंधित इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 04.10.2013, समय-समय पर यथा संशोधित, में राज्य सरकार अदालतार्क निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में क्रम संख्या 27 के सामने विभागान्वित,

"vi। नायब तहसीलदार, कुवारिया कुवारिया"

को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"vi। तहसीलदार, कुवारिया कुवारिया"

(सं. प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-131)
राज्यपाल के आदेश से,

(आनंदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अतिथिकारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशान्त न करें। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अज्ञात को मय विल निजवाने की व्यवस्था कराएः।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महामिलकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अज्ञात।
5. पंजीयक, राजस्थान मण्डल, राजस्थान, अज्ञात।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विलिङ्ग विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्थ विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, विभाग (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, विभाग (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. संक्षिप्त पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव